# निदेशालय : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 1346/जांच/संस्था/बीमा/2020/ 4702 दिनांक : 27.07.2020

## लोक सूचना

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय (परिवर्तित पदनाम कनिष्ठ सहायक), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर के दिनांक 20.12.2013 से निरंतर कार्यालय से बिना अनुमति स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु इन्हें जारी पत्रों/नोटिसों का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने, आवंटित कार्य का निष्पादन प्रतिबद्धता एवं प्रचलित कार्यपद्धति से निष्पादित नहीं करने एवं जीपीएफ खाता संख्या 328066 की पत्रावली जीपीएफ रिकॉर्ड से अर्थना पत्र देकर प्राप्त कर पत्रावली को गुम करने के संबंध में इनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई गई। इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 9037 दिनांक 21.09.2015 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप–विवरण पत्र जारी किये गये, किन्तु श्री ललित कुमार शर्मा द्वारा कोई लिखित प्रतिवेदन एवं जवाब नहीं दिया गया एवं इस विषय बाबत समाचार पत्र में दिनांक 29.09.2019 को सूचना प्रकाशित भी कराई गई है।

अतः उक्त कार्मिक पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर इन्हें युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी स्वयं पर अधिरोपित आरोपों का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं दिनांक 20.12.2013 से निरंतर राजकीय ड्यूटी से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 75 दिनांक 17.06.2020 द्वारा श्री ललित कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को राजकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर